समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)
कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2013–14 मे गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2235– सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उप मुख्य शीर्ष–01– पुनर्वास, लघुशीर्ष–200– अन्य राहत उपाय उप शीर्ष–0003– शीत लहर से बचाव हेतु उपाय विपत्र कोड– N2235012000003, माँग संख्या–39 यूनिट कोड–31–06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा में विभागीय पत्र सं0–92/आ0 प्र0 दिनांक 17–12–2013 से प्राप्त मो0–50,000.00(पचास हजार) रूपये के आवंटन को निम्नांकित अनुमंडल पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

संबंधित पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उक्त उपावंटित राशि शीत लहर से बचाव कार्य हेतु आवश्यकता अनुसार अंचल अधिकारियों को उपलब्ध करायेगे। अनुमंडल पदाधिकारी सदर मोतिहारी को उपावंटित राशि मे नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत भी अलाव जलाने की राशि सन्निहित है।

यह आवंटन विभागीय पत्रांक 5396/ आ0 प्र0 दिनांक–16.12.2013 द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के तहत निर्गत किया जा रहा है। इस राशि से अलाव की व्यवस्था यथानुसार जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक सभी शहरी/अर्द्धशहरी स्थानों में की जायेगी जैसे नि.सहाय एवं गरीब लोग जो सार्वजनिक स्थानों यथा बस स्टैन्ड, रेलवे स्टेशन, चौक, रिक्सा पडाव, रैन बसेरा आदि स्थलो पर खुले आसमान के नीचे जीवन बसर करते है, वैसे लोगों को शीतलहर से बचाव हेतु अलाव जलाने के लिए दिशा निर्देश के तहत निर्गत किया जाता है।

आवंटित राशि का व्यय उसी मद के अन्तर्गत किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें।

आवंटित राशि की निकासी यथासम्भव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय।अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0 सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0 सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधनों के अनुसार निर्धारित समय सीमा मे भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपदा प्रबंधन शाखा को भेजना सुनिश्चित करेगें। व्यय नहीं होने की स्थिति मे राशि का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन अचूक रूप से दिनांक–28.02.2014 तक जिला आपदा प्रबंधन शाखा में भेजना सुनिश्चित करेगें।

यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

क्र0	पदाधिकारी का नाम	उपावंटित राशि
1	2	3
1	अनुमंडल पदाधिकारी सदर मोतिहारी	15000.00
2	अनुमंडल पदाधिकारी सिकरहना(ढाका)	7000.00
3	अनुमंडल पदाधिकारी रक्सौल	7000.00
4	अनुमंडल पदाधिकारी चकिया	7000.00
5	अनुमंडल पदाधिकारी पकडीदयाल	7000.00
6	अनुमंडल पदाधिकारी अरेराज	7000.00
	कुल	50,000.00

वर्त्तमान कुल उपावंटित राशि पचास हजार रूपये मात्र।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

ज्ञापांक 621 /जि0आ0प्र0प्र0 दिनांक 20-12-2013

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी अचल अधिकारी, पूर्वी चम्पारण/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला प्रबंधनक, आई0 टी0 मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

19-12-2013